कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 843 / स्टांप / 05 भोपाल, दिनांक 21 / 03 / 07

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश

विषयः स्टांपों के विक्रय पर नियंत्रण बावत्।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 774 / स्टांप / 05, भोपाल दिनांक 24.3.05 ।

––0––

उपरोक्त विषयक वित्त वर्ष 2004–05 समाप्ति पर है। 01.04.2005 से मुद्रांक विक्रेताओं के लाईसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी स्टांप विक्रय की घटनाओं को देखते हुए, मुद्रांक विक्रेताओं की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखा जाना नितांत आवश्यक है। अतः 01.04.2007 की स्थिति में जिले के समस्त मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा वर्ष में कोषालय से निकाले गए तथा विक्रय किए गए स्टांप एवं दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में लंबित स्टांपों की जानकारी संलग्न प्रपत्र–1 में एकत्रित की जाए। उक्त जानकारी की एक प्रति माह अप्रैल में मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जावे।

2. इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 3165 / स्टांप / 03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रतिमाह कोषालय द्वारा विक्रय किए गए स्टांप, मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए गए स्टांप एवं पंजीकृत दस्तावेजों में उपयोग में किए गए स्टांपों की जानकारी अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि अधिकांश जिलों से जानकारी अप्राप्त है। अतः वर्ष 2006–07 की संकलित जानकारी माह अप्रैल में मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जावे तथा भविष्य में नियमित रूप से अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा मासिक जानकारी भेजी जाना सुनिश्चित करें।

3. इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा उप–पंजीयक कार्यालय में दिनांक 01. 04.05 से प्रारूप–दो अनुसार पंजी प्रतिपालित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें स्टांपों पर अंकित क्रमांक, कोषालय से जारी होने का दिनांक एवं दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने का दिनांक अंकित करने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा उप–पंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि अधिकांश उप–पंजीयक कार्यालय में उक्त पंजी प्रतिपालित नहीं की गई है और यदि प्रतिपालित की गई है तो उसमें प्रविष्टियाँ अध्यावत नहीं है। पंजी प्रतिपालित न किए जाने का कारण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कोषालय / उप–कोष्चालय से समय पर स्टांपों के क्रमांक एवं जारी करने की सूचना प्रापत नहीं होती है। उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित

कोषालय / उप–कोषालय अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर स्टांप बैंडरवार जारी किए जाने वाले स्टांपों के क्रमांकों की जानकारी प्राप्त की जावे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 844 / स्टाम्प / 2007 भोपाल दिनांक 21.03.2007

प्रतिलिपि :

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।

3/ समस्त उप–पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ प्रेषित दिनांक 01.04.07 से प्रारूप–दो में पंजी प्रतिपालित न किए की स्थिति में कठोर अनुशासनातमक कार्यवाही की जावेगी।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

प्रारूप–एक

दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2007 की अवधि में मुद्रांक विक्रेता श्री .... द्वारा क्रय/विक्रय किए गए स्टांपों की जानकारी

क्र	स्टांप का प्रकार	दर	01.04.06 से 31.03.07 तक की स्थिति में कोषालय से निकाले गए स्टांप	01.04.06 से 31.03.07 तक की स्थिति में विक्रय किए गए स्टांप	01.04.07 की स्थिति में शेष स्टांप	शेष बचे स्आांपों के क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप–2

उप–पंजीयक कार्यालय में स्टांप के क्रमांक बाबत् प्रतिपालित पंजी का प्रारूप स्टांप का अंकित मूल्य . ...

स्टांप का क्रमांक	कोषालय से जारी होने का दिनांक	रजिस्ट्री प्रस्तुति दिनांक	स्टांप का क्रमांक	कोषालय से जारी होने का दिनांक	रजिस्ट्री प्रस्तुति दिनांक
1	2	3	4	5	6